राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–738/2025

अशोक चन्नाल

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अति. निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पण्डेर, जिला भीलवाडा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 07.02.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री अजयराज टाटिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर सीएचसी, पण्डेर, जिला भीलवाडा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण टी.बी. चिकित्सालय, नागौर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का नाम अशोक चन्नाल है, जबकि स्थानान्तरण आदेश में अपीलार्थी का नाम अशोक चानाण अंकित है, जो गलत अंकित है। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के स्थानान्तरण में विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है। अपीलार्थी का स्थानांतरण राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के

नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश को अपास्त फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एंव स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया। हम पाते है कि अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश में टंकण की त्रुटि के आधार पर अपीलार्थी का नाम गलत अंकित है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश उक्त आधार पर निरस्त किये जाने योग्य होना नहीं माना जा सकता। जहां तक अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किये जाने का प्रश्न है, तो हम पाते है कि अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में शर्त संख्या–9 निम्न प्रकार से अंकित है :–

> *''9. मंत्रीमण्डल सचिवालय राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.11(1 एमएम)/2018 जयपुर दिनांक 22.11.2021 के द्वारा चिकित्सा मंत्री महोदय को पंचायतीराज विभाग की अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का स्वतंत्र प्रभार आवंटित है।''*

4. हम पाते है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश सक्षम अधिकारी स्तर पर अनुमोदित है। ऐसे में हम अपीलार्थी के आलोच्य आदेश में राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) उल्लंघन होना नहीं पाते हैं। इस संबंध में हमारा मत है कि अपीलार्थी के स्थानांतरण में किसी प्रकार की दुर्भावना रही हो, यह प्रकट नहीं होता है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना उचित समझता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
(अध्यक्ष)